

राजस्थान सरकार

**कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर**

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/कक्षा-कक्ष/19-20/

दिनांक : 21/01/19

39352-62

परियोजना अधिकारी,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
उदयपुर।

विषय : रा.प्रा.वि./रा.उ.प्रा.वि. विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 25674-94 दिनांक 26.06.2019 के क्रम में रा.प्रा.वि./रा.उ.प्रा.वि. विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।

कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति खेरवाड़ा से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-2 में वर्णित कार्य हेतु कॉलम संख्या-7 में अंकित राशि की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम व स्थान	ग्रा.पं.	पं.स.	प्रशा. स्वीकृति अनुसार राशि	(राशि लाख रु. में)	
					तकनीकी स्वीकृति क्र/दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	तीन कक्षा-कक्ष निर्माण मय बरामदा- राप्रावि लक्ष्मणपुरा	महुवाल	खेरवाड़ा	15.00	AEN/PS HERWARA/ 08/ 11.09.2019	19.27
2	तीन कक्षा-कक्ष निर्माण मय बरामदा- राउप्रावि भाखरा	कानपुर	खेरवाड़ा	15.00	AEN/PS HERWARA/ 07/ 11.09.2019	19.27
3	तीन कक्षा-कक्ष निर्माण मय बरामदा-राउप्रावि महुडिया	बावलवाड़ा	खेरवाड़ा	15.00	AEN/PS HERWARA/ 09/ 11.09.2019	19.27
			योग	45.00		57.81

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति सं-77/18-19 जयपुर द्वारा Construction and development of laboratory in 113 newly upgraded Sr. Secondary Schools in Government Sr. Sec schools, colleges and other educational institutions. हेतु प्राप्त राशि रु. 1619.72 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है।


विभागीय पत्रांक 12822-29 दिनांक 08.03.2019 द्वारा रा.उ.मा.वि. लक्ष्मणपुरा, भाखरा एवं महुडिया में स्वीकृत कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य निरस्त किये जाते हैं।

शर्त-

- यदि कोई कार्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्य पर ही किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
- कार्यकारी एजेन्सी द्वारा third party inspection/आई.टी.डी.पी. अन्तर्गत कार्यरत विभागीय अभियंताओं एवं प्लेसमेंट के माध्यम से अभियंताओं के निरीक्षण दल को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावेगी। पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करावे।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ प्रेषित किये जावे एवं geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
- कार्य पूर्णता पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।


7. जिन कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई है। परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विभाग इन कार्यों हेतु राशि का हस्तान्तरण संबंधित पंचायत समिति को करेंगे।

भवदीय

  
(शिवांगी स्वर्णकार) I.A.S  
आयुक्त

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/कक्षा-कक्ष/ 19-20/ 39352-62 दिनांक : 21/10/17  
प्रतिलिपी :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर उदयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अर्न्तगत शासन की स्वीकृति सं-77/18-19 जयपुर द्वारा Construction and development of laboratory in 113 newly upgraded Sr. Secondary Schools in Government Sr. Sec schools, colleges and other educational instiutions. हेतु प्राप्त राशि रू. 1619.72 लाख मे से राशि रू. 57.81 लाख परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को हस्तांतरित करें।
5. निदेशक, मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
7. विकास अधिकारी पंचायत समिति खेरवाडा जिला उदयपुर।
8. प्रधानाचार्य राप्रावि लक्ष्मणपुरा/राउप्रावि भाखरा/महुडिया, पं.स. खेरवाडा जिला उदयपुर।
9. गार्ड पत्रावली।

  
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
उदयपुर (राज.)